कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / S.S.(yyy) दिनांक–

19 JUN 2018

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, हिलसा
जिला– नालंदा

S-0-7
21-06-18

महाशय,

नगर परिषद, हिलसा के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 890 / 17–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओ के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0 / 11474/64 दिनांक– 12.06.18.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, नालंदा

प्रधान सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र पंजी
20 JUN 2018
संख्या 5987

तनवीर हसन 12/06/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या :–890 / 17–18

भाग–1

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर परिषद–हिलसा (नालंदा)	
2	लेखा की अवधि	2015–16 से 2016–17	
3.	विस्तृत जाँच का माह	मार्च 2016 एवं मार्च 2017	
4.	लेखापरीक्षा का विस्तार	विभिन्न केंद्र / राज्य योजना मद से ली गई योजनाओं से संबंधित रोकड़बही, बैंक पासबुक, योजना अभिलेख, योजना पंजी, होल्डिंग रसीद, विविध रसीद, सैरात बंदोबस्ती पंजी एवं अभिलेख, एवं भुगतान अभिश्रव की जॉच की गयी। राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभिलेखों की अद्यतन जाँच की गई।	
5.	लेखापरीक्षा की अवधि	26.08.2017 से 09.09.2017	
6	**प्रशासन**	**नाम**	**अवधि**
	(क) अध्यक्ष	1. श्रीमति साधना देवी	01.04.2015 से 15.09.2016
		2. श्रीमति जयन्ती देवी	16.09.2016 से 31.03.2017
	(ख) उपाध्यक्ष	1. श्री धनंजय कुमार	01.04.2015 से 15.09.2016
		2. श्री मुकेश कुमार	16.09.2016 से 31.03.2017
	(ग) कार्यपालक पदाधिकारी	1. श्री अजय कुमार राय	01.04.2015 से 19.08.2015
		2. श्री विजय कुमार उपाध्याय	20.08.2015 से 31.03.2017
7	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री महेश प्रसाद, वरीय लेखापरीक्षक 2. श्री अनिल कुमार रजक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	
8	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री अरूण कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी	
9	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	केवल निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–12050 / 2015–16 की कंडिका–6 का अनुपालन प्रस्तुत किया गया।	
10	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।	
11	क्या आपत्तियों पर विचार विमर्श हुआ?	हाँ, दिनांक–09.09.2017 को अंकेक्षण आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से विचार–विर्मश किया गया।	

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र

(Disclaimer Certificate)

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई **नगर परिषद–हिलसा (नालंदा)** के द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

भाग–II (क)–शून्य

भाग–II (ख)

कंडिका (1): अपूर्ण आवासों पर अलाभकारी व्यय–रू0 29.00 लाख

भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को वर्ष 2022 तक कम–से–कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक–17.06.2015 को **'सबके लिए आवास (शहरी)'** योजना का आरंभ किया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ. वि), बिहार सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण हेतु राशि के वितरण के संबंध में निर्गत दिशानिर्देशों (दिनांक–06.07.2016) के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु कुल रू0 2,00,000.00 की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अंदर लाभार्थी द्वारा नींव खुदाई करने पर रू0 50,000.00 की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी जिससे प्लिंथ स्तर तक का कार्य किया जाएगा। प्लिंथ की ढलाई होने के उपरांत फोटोग्राफी करके रू0 1,00,000.00 की राशि द्वितीय किस्त के रूप में दी जाएगी जिससे छत ढलाई का कार्य पूर्ण कर लिया जाना है। उसके उपरांत फोटोग्राफी कराकर अवशेष रू0 50,000.00 की राशि तृतीय किस्त के रूप में विमुक्त की जाएगी जिससे लाभार्थी द्वारा प्लास्टर, दरवाजा, खिड़की, फलोरिंग, विद्युतीकरण आदि के कार्य पूर्ण किए जाएंगे।

योजना मार्गदर्शिका के अनुसार, प्रथम किस्त प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्लिंथ स्तर का कार्य, द्वितीय किस्त प्राप्ति के दो महीने के अंदर छत ढलाई का कार्य एवं तृतीय किस्त प्राप्त होने के दो महीने के अंदर प्लास्टर, फलोरिंग एवं लकड़ी का कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा। कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से 6 माह के अंदर घर का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। आगे, यदि कोई लाभार्थी राशि के दुरूपयोग की कोशिश करता है तो राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की जाए।

नगर परिषद–हिलसा द्वारा उपरोक्त योजना से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा नगर परिषद को 'सबके लिए आवास' योजना के अंतर्गत सितंबर 2016 में कुल रू0 3,86,83,000.00 राशि उपलब्ध करायी गयी थी। इस योजना में नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान 83 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में कुल रू0 41,50,000.00 राशि (रू0 50,000.00 प्रति लाभार्थी की दर से) का भुगतान किया गया था परंतु, इन 83 लाभार्थियों में से केवल 25 लाभार्थियों को ही द्वितीय किस्त की राशि (रू0 1,00,000.00 प्रति लाभार्थी की दर से) का भुगतान फरवरी 2017 से अप्रैल 2017 के मध्य किया गया था। शेष 58 लाभार्थियों (70 प्रतिशत) द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के पॉच से नौ महीने का समय व्यतीत होने के उपरांत भी द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं की गई अर्थात् प्रथम किस्त प्राप्त करने के पश्चात् लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। इससे आवास निर्माण हेतु ली गई राशि के अन्य उद्देश्यों पर उपयोग कर लिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, लाभुकों द्वारा द्वितीय किस्त नहीं लिए जाने के कारण 58 आवासों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा जिससे शहरी क्षेत्र के आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का योजना का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका तथा उक्त 58 अपूर्ण आवासों पर कुल रू0 29,00,000.00 राशि (58 x रू0 50,000.00) का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बताया गया कि लाभुकों द्वारा आवश्यक कागजात उपलब्ध नहीं कराने के कारण द्वितीय एवं अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया गया।

जवाब अमान्य है क्योंकि राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण नहीं करने पर लाभार्थियों के विरूद्ध नगर परिषद कार्यालय द्वारा कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया था और न ही कोई कानूनी कार्रवाई किया गया था।

कंडिका (2): <u>अपूर्ण शौचालयों पर अलाभकारी व्यय–रू0 105.60 लाख</u>

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार के संकल्प संख्या–2614, दिनांक–29.05.2015 द्वारा केन्द्र प्रायोजित **'स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)'** योजना राज्य के सभी शहरी निकायों में लागू किया गया। न.वि. एवं आ.वि. द्वारा इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण हेतु राशि के वितरण के संबंध में निर्गत दिशानिर्देशों (दिनांक–19.08.2015) के अनुसार, योजना के लाभार्थी द्वारा नींव की खुदाई किए जाने पर नगर निकाय द्वारा प्रथम किस्त अग्रिम के रूप में रू0 7,500.00 का भुगतान लाभार्थी के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी के द्वारा इस राशि से 45 दिनों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने पर द्वितीय एवं अंतिम किस्त की राशि रू0 4,500.00 का भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुसार जिन लाभार्थियों द्वारा राशि का उपयोग शौचालय निर्माण में नहीं किया जाएगा उनके विरूद्ध वसूली की कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई करने की जिम्मेवारी कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

नगर परिषद–हिलसा द्वारा उपरोक्त योजना से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस योजना में जनवरी 2016 से जून 2017 के दौरान 1,751 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में कुल 1,31,32,500.00 राशि (रू0 7,500.00 प्रति लाभार्थी की दर से) का भुगतान किया गया था परंतु, इन 1,751 लाभार्थियों में से केवल 343 लाभार्थियों (20 प्रतिशत) को ही द्वितीय एवं अंतिम किस्त की राशि रू0 4,500.00 प्रति लाभार्थी की दर से भुगतान जून 2016 से जून 2017 के मध्य किया गया था। शेष 1,408 (1,751–343) लाभार्थियों (80 प्रतिशत) द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के दो से बीस महीने का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं की गई थी जबकि 45 दिनों के अंदर ही शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया जाना था। स्पष्टतः प्रथम किस्त प्राप्त करने के पश्चात् लाभुकों द्वारा शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। अतः लाभुकों द्वारा शौचालय निर्माण हेतु ली गई राशि के अन्यत्र उद्देश्यों पर उपयोग कर लिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, लाभुकों द्वारा द्वितीय किस्त नहीं लिए जाने के कारण 1,408 शौचालयों का निर्माण कार्य अपूर्ण रहा जिससे योजना का वांछित उद्देश्य (शौचालय निर्माण) प्राप्त नहीं हो सका तथा उक्त 1,408 अपूर्ण शौचालयों पर कुल रू0 1,05,60,000.00 राशि (1,408 x 7,500.00) का किया गया व्यय अलाभकारी रहा।

इस संबंध में अंकेक्षण आपत्ति के जवाब में बताया गया कि लाभुकों द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के उपरांत द्वितीय किस्त हेतु आवेदन नहीं दिया गया है और उन्हें नोटिस निर्गत किया गया है।

जवाब अमान्य है क्योंकि लेखापरीक्षा में लाभार्थियों को निर्गत नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, योजना मार्गदर्शिका के अनुसार राशि प्राप्त करने के बावजूद शौचालय का निर्माण नहीं करने पर लाभार्थियों के विरूद्ध राशि वसूली हेतु कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई किया जाना था।

कंडिका (3): <u>एल.ई.डी स्ट्रीट लाईट का अनियमित क्रय –रू0 19.08 लाख</u>

कार्यालय नगर परिषद, हिलसा (नालन्दा) के विभिन्न खंभो पर एल.ई.डी स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं रख– रखाव से संबंधित संचिका के जॉच क्रम मे पाया गया कि नगर परिषद के कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–7/2015--16; दिनांक–14.03.2016 को स्थानीय अखबार में निविदा प्रकाशित की गयी थी। निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18.03.2016 निर्धारित थी। मेसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल्स नामक फर्म से प्रति अदद रू0 12,890.00 की दर से कुल 148 एल.ई.डी स्ट्रीट लाईटों का क्रय किया गया था। संबंधित संचिका के जॉच क्रम में निम्नलिखित त्रुटियॉ पायी गयी–

<u>लेखापरीक्षा टिप्पणी</u>–

(i) बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 के नियम–131 H(v) के प्रावधानों के अनुसार निविदा प्रकाशन की तिथि से इसके प्राप्त किएं जाने के लिए न्यूनतम तीन सप्ताह का समय निर्धारित किया जाना है जबकि नगर परिषद कार्यालय द्वारा निविदा प्रकाशन की तिथि (14.03.2016) से इसकी प्राप्ति (दिनांक–18.03.2016) के लिए मात्र 04 दिन का समय निर्धारित किया गया था जिसके कारण आपूर्तिकर्ताओं में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नहीं हो पायी।

(ii) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के पत्रांक–2834; दिनांक–14.12.2013 के अनुसार बिना विधुत सम्बन्ध एवं नियमित विद्युत व्यय की व्यवस्था किए हाई मास्ट/स्ट्रीट लाईट योजना को स्वीकृत नहीं किया जाना था। परन्तु बिना विद्युत सम्बन्ध एवं नियमित व्यय की व्यवस्था कराए ही एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट योजना को स्वीकृत किया गया था।

(iii) तकनीकी बिड से संबंधित तुलनात्मक विवरणी के अनुसार दो निविदादाताओं क्रमशः मॉ जगदम्बा कन्सट्रक्शन एवं मलया इन्टप्राईजेज का सी.एस.टी. एवं निबंधन संख्या, सेवा कर की छाया प्रति आदि से संबंधित दस्तावेज संचिका में उपलब्ध नहीं था फिर भी गलत रूप से एकल निविदा का निष्पादन करते हुए मेसर्स लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन एवं इलेक्ट्रीकल्स को आपूर्ति आदेश दिया गया था।

(iv) निविदा आमंत्रण सूचना के क्रम संख्या–10 के अनुसार प्राप्त दर की वैधता 1 वर्ष के लिए मान्य थी, परन्तु संचिका जॉच में पाया गया कि दिनांक–31.03.2016 को मेसर्स लक्ष्मी कन्सट्रकशन एवं इलेक्टीक वर्क को रू0 12,890.00 प्रति अदद दर से 16 एल.ई.डी लाईट हेतु प्रथम आपूर्ति आदेश दिया गया था। पुनः दिनांक–30.09.2016 को 31 एल.ई.डी लाईट एवं दिनांक–02.05.2016 को 45 लाईट का क्रय उक्त फर्म से किया गया था। यह पाया गया कि इस तिथि के 1 वर्ष बाद भी उसी आपूतिकर्ता से उसी दर पर 56 एल.ई.डी लाईटों का क्रय किया गया (कुल राशि रू0 7,21,840.00) किया गया जबकि पुनः निविदा आमंत्रित किया जाना चाहिए था।

(v) स्ट्रीट लाईट प्रत्येक वार्ड में कितना लगाया जाना था इससे संबंधित सूची प्रत्येक वार्ड पार्षद द्वारा नहीं लिया गया था तो किस आधार पर एल.ई.डी. लाईट का क्रय किया गया?

(vi) बिहार वैट अधिनियम के अनुसार, सामग्री क्रय के विपत्र भुगतान के समय संबंधित आपूर्तिकर्ता द्वारा Form C-III प्रस्तुत नहीं किए जाने पर वैट की कटौती कर ही भुगतान किए जाने का प्रावधान था। वैट की कटौती नहीं किए जाने पर वैट की दुगुनी राशि के दंड का प्रावधान है। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि 148 स्ट्रीट लाईटों के क्रय हेतु प्रति लाईट 12,890.00 की दर से कुल रू0 19,07,720 का भुगतान किया गया था परंतु, आपूर्तिकर्ता द्वारा Form C-III समर्पित नहीं किए जाने के बावजूद आपूर्तिकर्ता के विपत्र से 5 प्रतिशत वैट राशि (रू0 95,386.00) की कटौती नहीं कर आपूर्तिकर्ता को पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया था।

(vii) क्रय किए गए एल.ई.डी. लाईटों की विशिष्टताओं की जांच किसी तकनीकी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था।

उपरोक्त अंकेक्षण आपत्ति के क्रम संख्या–(i) एवं (iii) से (vi) के संबंध में जवाब दिया गया कि भविष्य में इस बिंदु पर ध्यान दिया जाएगा। क्रम संख्या–(ii) के संबंध में बताया गया कि स्ट्रीट लाईट का विद्युत भुगतान पंचम राज्य वित्त आयोग की निधि से किया जाता है। क्रम संख्या–(vii) की आपत्ति के उत्तर में बताया गया कनीय अभियंता द्वारा जॉच करा ली गई है।

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब अमान्य है क्योंकि एल.ई.डी. लाईटों के विद्युत भुगतान एवं इसकी तकनीकी विशिष्टताओं की जॉच से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कंडिका (4): <u>विद्युत विपत्रों में विलंब अधिभार का भुगतान–रू0 1.55 लाख</u>

बिहार सरकार के पत्रांक–418/2011/6594/वि0; दिनांक–26.06.2013 जिसकी प्रति नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा पत्रांक–1731; दिनांक–18.07.2013 के द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को प्रेषित की गई थी, के अनुसार सरकारी कार्यालयों द्वारा मासिक विद्युत विपत्र प्राप्त होते ही निर्धारित तिथि (ड्यू डेट) के पूर्व ही उसका भुगतान किया जाना था ताकि विलंबित भुगतान अधिभार (डी.पी.एस.) के भुगतान से बचा जाए। आगे, आवंटन उपलब्ध रहने के बावजूद विद्युत विपत्र का

समय पर भुगतान नहीं होने के चलते डी.पी.एस. का भुगतान किया जाना कार्यालय प्रधानों की जिम्मेवारी होगी।

नगर परिषद–हिलसा (नालंदा) के विद्युत विपत्रों की संचिका में संलग्न विद्युत विपत्र एवं इसके भुगतान से संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान नगर परिषद द्वारा विद्युत कंपनी (साउथ बिहार पॉवर डस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड) को कुल रू0 1,55,189.74 राशि का भुगतान विलंब अधिभार के मद में किया गया था। विवरण निम्न है–

क. सं.	कंज्यूमर आई. डी.	विपत्र माह	विपत्र की राशि (रू0)	डी.पी.एस. की राशि (रू0)	भुगतान का विवरण
1.	5110722	मार्च 2015	7,10,958.00	93,658.66	चेक संख्या–862521, दिनांक–22.04.2015
2.	100528698 (हाई मास्ट लाईट)	जनवरी 2016	5,18,781.00	33,331.19	चेक संख्या–862815, दिनांक–26.03.2016
3.	10026896 (स्ट्रीट लाईट)	फरवरी 2017	6,29,229.00	9,426.04	–/दिनांक–20.03.2017
4.	5101107	फरवरी 2017	1,11,0151.00	18,773.85	चेक संख्या–862737, दिनांक–20.03.2017
कुल				**1,55,189.74**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पूर्व में विद्युत विपत्रों का भुगतान देय तिथि पर नहीं करके विलंब से किया गया था जिसके कारण विद्युत कंपनी द्वारा उक्त विद्युत विपत्रों में विलंब अधिभार शुल्क की राशि रू0 1,55,189.74 जोड़कर वसूल की गई।

जवाब में बताया गया कि विद्युत विभाग से बिजली बिल समय से प्राप्त होने के संबंध में बिजली विभाग के एस.डी.ओ. को सूचित किया गया है। भविष्य में समय से भुगतान किया जाएगा। जवाब के अनुरूप उचित अनुपालन किया जाए।

कंडिका (5): <u>रोकड़पाल द्वारा प्राप्त राजस्व राशि का कम जमा–रू0 2.95 लाख</u>

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–22(1) के अनुसार, प्राप्त अधिकरों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में उसी दिन या उसके दूसरे कार्य दिवस के दोपहर तक अवश्य ही जमा की जानी चाहिए। उक्त नियमावली के नियम–27 में प्रावधान है कि प्रत्येक कर संग्राहक बी.एम.ए.आर. प्रपत्र संख्या–17 में एक संग्रहण बही का संधारण करेंगें जिसमें राशि संग्रहण के बाद निर्गत की गयी मूल रसीद की सारी प्रविष्टियाँ की जाएंगी तथा कर संग्राहक अपने सारे संग्रहण राशि को दैनिक रूप से कैशियर के पास जमा करेंगें जो संग्रहित राशि को अधिकृत बैंकों में जमा कर देंगे।

नगर परिषद–हिलसा के राजस्व वसूली से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा दिनांक–17.06.2017 से 31.08.2017 के दौरान विभिन्न मदों में वसूल की गई कुल रू0 4,98,381.00 राशि कैशियर श्री पिन्टू कुमार के पास जमा की गई थी परंतु कैशियर द्वारा केवल रू0 2,03,182.00 राशि ही नगर परिषद कोष में जमा की गई थी तथा शेष रू0 2,95,199.00 (4,98,381.00 – 2,03,182.00) राशि लेखापरीक्षा की तिथि (01.09.2017) तक नगर परिषद कोष में जमा नहीं की गई थी। विवरण निम्नांकित है–

क्र. सं.	मनी रसीद संख्या	संग्रह की तिथि	संग्रह की कुल राशि (रू0)	जमा की गई राशि (रू0)	कम/नहीं जमा राशि (रू0)
1	2	3	4	5	6 (4–5)
1.	156–161	17.06.2017–30.06.2017	99,855	0	99,855
2.	162	30.06.2017	2,04,606	1,50,000	54,606
3.	163–164	04.07.2017–08.07.2017	49,788	0	49,788
4.	165	11.07.2017	56,511	53,182	3,329
5.	168–177	15.07.2017–31.08.2017	87,621	0	87,621
	कुल		**4,98,381**	**2,03,182**	**2,95,199**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कैशियर द्वारा प्राप्त की गई राजस्व राशि को नगर परिषद कोष में अविलंब जमा नहीं कर काफी समय से अपने पास रखा गया था। परिणामतः वसूली की गई कुल राशि रू0 2,95,199.00 नगर परिषद के लेखा से बाहर रहा।

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त राशि यथाशीघ्र जमा कर दिया जाएगा तथा अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा। जवाब के आलोक में कम जमा की राशि रू0 2,95,199.00 यथाशीघ्र नगर परिषद कोष में जमा कराई जाए तथा संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

कंडिका (6): <u>योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता–रू0 7.47 लाख</u>

योजना संख्या/वर्ष	57/2015–16
मद का नाम	चौदहवॉ वित्त आयोग
योजना का नाम	वार्ड न0–20 में सुखदेव मिस्त्री से अर्जुन यादव के धर तक नाला निर्माण ढक्कन सहित।
प्राक्कलित राशि	रू0 7,49,000.00
अभिकर्ता का नाम	मशकुर आलम, कनीय अभियंता
कार्यादेश तिथि	74/06.02.2016
कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्यादेश में दर्ज नहीं
मापी पुस्त राशि	रू0 7,47,075.00
कुल भुगतान	रू0 7,47,075.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) बिहार खनन समानुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक/अभिकर्ता को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही अभिकर्ता को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है। पाया गया कि उक्त कार्य में अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में लोकल बालु–रू0 3,111.00; ईट– रू0 9,843.00; कोर्स बालू–रू0 17,612.00; स्टोन चिप्स–रू0 48,175.00 यानी कुल रू0 78,741.00 का भुगतान 'एम' व 'एन' प्रपत्र प्राप्त किए बिना ही अभिकर्ता को किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(iii) एकरारनामा प्रति में कम से तीन गवाहकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए परन्तु एकरारनामा प्रति में केवल कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभिकर्ता का हस्ताक्षर था जो नियमानुसार गलत है।

(iv) मस्टर रौल में योजना संचालकर्ता का हस्ताक्षर, कार्य कितने अवधि तक किया गया आदि से संबंधित तिथि/विवरणी दर्ज नहीं किया गया था।

(v) वित्तीय नियमानुसार सरकारी कार्य में वितीय लेनदेन लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए, परन्तु संचिका जॉच में पाया गया कि सामगी आपूर्तिकर्ता एवं मजदूर को रू0 7,47,075.00 लेखा देय चेक में माध्यम से नहीं किया गया था जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

(vi) एकरारनामा के क्लाउज 03 के अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया जाना था, परन्तु संचिका में पूर्णता प्रमाण पत्र नहीं पाया गया।

(vii) वित्तीय नियमानुसार रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता से सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए जिसके ईन्वाईस पर मशिनी क्रमांक एवं टिन/वैट अंकित हो, परन्तु जॉच क्रम में पाया गया कि ईन्वाईस पर मशीनी क्रम संख्या एवं क्रय का दिनांक अंकित नहीं था।

उपरोक्त अंकेक्षण आपत्तियों के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

कंडिका (7): योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता–रू0 3.65 लाख

योजना संख्या/वर्ष	35/2015–16
मद का नाम	चौदहवॉ वित्त अयोग
योजना का नाम	वार्ड सं0–13 में भुषण के धर से कमेष्र डीलर के घर होते हुए अरूण के धर तक नाला निर्माण ढ़क्कन सहित।
प्राक्कलित राशि	रू0 3,99,500.00
अभिकर्ता का नाम	श्री अलवेला प्रसाद
कार्यादेश तिथि	08/07.01.2016
कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्यादेश में दर्ज नहीं
मापीपुस्त की राशि	रू0 3,65,138.00
कुल भुगतान	रू0 3,65,138.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) प्राक्कलन में 548 फीट नाला निर्माण हेतु रू0 3,99,478.00 (रू0 3,000.00 फोटो हेतु) का प्रावधान किया गया था। मापी पुस्त जॉच कम में पाया गया कि 548 फीट की बजाए केवल 480 फीट लंबाई में ही नाले का निर्माण किया गया था।

(ii) बिहार खनन समानुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है। पाया गया कि उक्त कार्य में अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में लोकल बालू–रू0 2,440.00; ईंट–रू0 9,176.00; कोर्स बालू–रू0 8,658.00; स्टोन चिप्स–रू0 24,862.00 यानी कुल रू0 45,136.00 का भुगतान बिना 'एम' एवं 'एन' प्रपत्र प्राप्त किए ही अभिकर्ता को किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन है। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(iii) एकरारनामा प्रति में कम से तीन गवाहकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए परन्तु एकरारनामा प्रति में गवाहकर्ता का हस्ताक्षर नहीं था, केवल अभिकर्ता का हस्ताक्षर था जो नियमानुसार गलत है।

(iv) मस्टर रौल में योजना संचालकर्ता का हस्ताक्षर, कार्य कितने अवधि तक किया गया आदि से संबंधित तिथि/विवरणी दर्ज नहीं किया गया था।

(v) वित्तीय नियमानुसार सरकारी कार्य में वितीय लेनदेन लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए, परन्तु संचिका जॉच में पाया गया कि सामगी आपूर्तिकर्ता एवं मजदूर को रू0 3,59,206.00 लेखा देय चेक के माध्यम से नहीं किया गया था जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। मापी पुस्त के अुनसार रू0 3,65,138.00 व्यय किया गया था परन्तु, अभिश्रव एवं मस्टर रॉल में कुल रू0 3,59,206.00 का ही पाया गया। इस प्रकार शेष रू0 5,932.00 (3,65,138.00–3,59,206.00) का अभिश्रव संचिका में संलग्न नहीं पाया गया।

(vi) एकरारनामा के क्लाउज 03 के अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया जाना था, परन्तु संचिका में संबंधित पदाधिकारी का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

उपरोक्त अंकेक्षण आपत्तियों के जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

कंडिका (8): योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता–रू0 3.98 लाख

योजना सं0	51/2015–16
मद का नाम	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
योजना का नाम	वार्ड सं0–26 में नौलेश शर्मा के धर से काली स्थान मन्दिर के पास मिट्टी भराई ईट सोलिंग एवं पी.सी.सी. निर्माण कार्य।
प्राक्कलित राशि	रू0 4,00,000.00
अभिकर्ता का नाम	मशकुर आलम, कनीय अभियंता
कार्यादेश तिथि	316/18.06.2016
कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्यादेश में दर्ज नहीं
मापीपुस्त राशि	रू0 3,98,302.00
कुल भुगतान	रू0 3,98,302.00

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(i) बिहार सरकार के मुख्य सचिव के पत्रांक–462; दिनांक–30.03.1982 तथा बिहार लोक कार्य संहिता के प्रावधानानुसार एकरारनामा के प्रत्येक मद में बढ़ोतरी होने पर 10 प्रतिशत तक कार्यपालक अभियंता, 15 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता तथा 25 प्रतिशत तक मुख्य अभियंता की स्वीकृति प्रदान करने हेतू सक्षम प्राधिकारी है। इससे उपर की बढ़ोतरी होने पर सरकार से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही इन बढ़े हुए मदों की मात्राओं का भुगतान किया जाना है। उक्त योजना के एकरारनामा एवं मापीपुस्त के नमूना जांच मे पाया गया कि एकरारनामा के अनुसार 299 फीट ईट सोलिंग, मिट्टी भराई एवं पी.सी.सी. कार्य किया जाना था, परन्तु मापी पुस्त के अनुसार 374 फीट कार्य किया गया यानि लम्बाई में कुल 25 प्रतिशत की वृद्वि की गयी। प्राक्कलन के अनुसार कार्य की मात्रा को बराबर रखने हेतु मुटाई को 10 ईंच के जगह पर 8 इंच कर दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही एकरारित लम्बाई से अधिक कार्य करवाया गया एवं मोटाई कम कर दिया गया जो अवमानक कार्य को दर्शाता है।

(ii) बिहार खनन समानुदान नियमावली, 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक/अभिकर्ता को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता द्वारा उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है। पाया गया कि उक्त कार्य में अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में लोकल बालु–रू0 6,906.00; ईट–रू0 9,843.00; कोर्स बालू–रू0 11,100.00; स्टोन चिप्स–रू0 53,636.00 यानी कुल रू0 74,579.00 का भुगतान 'एम' एवं 'एन'

प्रपत्र प्राप्त किए बिना ही अभिकर्ता को किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(iii) एकरारनामा प्रति में कम से कम तीन गवाहकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए परन्तु इसमें गवाहकर्ता का हस्ताक्षर नहीं था, केवल अभिकर्ता का हस्ताक्षर था।

(iv) मस्टर रौल में योजना संचालकर्ता का हस्ताक्षर, कार्य कितने अवधि तक किया गया आदि से संबंधित तिथि/विवरणी दर्ज नहीं किया गया था।

(v) वित्तीय नियमानुसार सरकारी कार्य में वित्तीय लेनदेन लेखा देय चेक के माध्यम से किया जाना चाहिए, परन्तु संचिका जॉच में पाया गया कि सामगी आपूर्तिकर्ता एवं मजदूर को रू0 3,98,302.00 लेखा देय चेक में माध्यम से नहीं किया गया था।

(vi) एकरारनामा के क्लाउज 03 के अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया जाना था, परन्तु संचिका में संबंधित प्रदाधिकारी का कार्य से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।

(vii) वित्तीय नियमानुसार रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता से ही सामग्री का क्रय किया जाना चाहिए जिसके ईन्वाईस पर मशिनी क्रमांक एवं टीन वैट अंकित हो, परन्तु जॉच क्रम में पाया गया कि ईन्वाईस पर मशीनी क्रम संख्या एवं क्रय का दिनांक अंकित नहीं था।

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त अंकेक्षण बिंदुओं पर भविष्य में ध्यान दिया जाएगा।

कंडिका (9): <u>विभागीय योजनाओं का अनियमित कार्यान्वयन– रू0 393.46 लाख</u>

नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.), बिहार सरकार के संकल्प संख्या–3557; दिनांक–04.08.2016 के द्वारा नगर निकायों को राज्य योजनाओं तथा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वीं वित्त आयोग की राशि से ली जानेवाली रू0 7.50 लाख तक की योजनाओं को विभागीय रूप से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त संकल्प की कंडिका–5 में यह प्रावधान था कि विभागीय तौर पर योजनाओं का संपादन तकनीकी कर्मचारी यथा कनीय अभियंता के माध्यम से ही कराया जाएगा तथा एक समय में अधिक से अधिक से दो या तीन योजनाएं ही एक कनीय अभियंता को कार्यान्वयन हेतु दी जाएगी।

पुनः न.वि. एवं आ.वि. के पत्रांक–2ब0/विविध–21–14/2014/5088; दिनांक–04.08.2016 द्वारा उपरोक्त विभागीय संकल्प की कंडिका–5 के प्रावधानों का कठोरता से अनुपालन किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया। साथ ही, विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन अस्थायी अथवा संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं द्वारा किए जाने को अमान्य किया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि पूर्णकालिक कनीय अभियंताओं के द्वारा ही विभागीय रूप से योजनाओं का कार्यान्वयन जाना है।

नगर परिषद–हिलसा के योजनाओं से संबंधित अभिलेखों एवं लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गई योजना विवरणी के अवलोकन में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के

दौरान विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल 151 योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय रूप से कराया गया था जिस पर कुल रू0 3,93,45,900.00 का व्यय किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	वर्ष	मद का नाम	योजनाओं की संख्या	कुल व्यय (रू0)
1.	2016–17	नगर निधि	10	16,07,857.00
2.	2015–16	नगर निधि	11	11,90,062.00
3.	2015–16	पेशाकर	6	12,91,288.00
4.	2016–17	पेशाकर	2	4,96,965.00
5.	2015–16	13वां/14वां वित्त आयोग	41	1,12,61,006.00
6.	2015–16	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	81	2,34,98,722.00
कुल			**151**	**3,93,45,900.00**

उपरोक्त 151 योजनाओं में से 114 योजनाओं (75 प्रतिशत) का कार्यान्यवन तकनीकी कर्मचारी की बजाए नगर परिषद कार्यालय के प्रधान सहायक द्वारा कराया गया था। शेष 37 योजनाओं का कार्यान्वयन पूर्णकालिक कनीय अभियंता की बजाए संविदा पर नियुक्त एक कनीय अभियंता द्वारा कराया गया था। इस प्रकार, विभागीय योजनाओं के कार्यान्यवन में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया तथा नगर परिषद की सभी योजनाओं का कार्यान्यवन अनियमित रूप से केवल दो व्यक्तियों (प्रधान सहायक एवं कनीय अभियंता) द्वारा ही कराया गया।

जवाब में बताया गया कि बोर्ड के निर्णय के अनुसार विभागीय कार्य कराया गया है। जवाब अमान्य है क्योंकि न.वि. एवं आ.वि. के निर्देशानुसार विभागीय कार्यों का कार्यान्वयन किसी तकनीकी कर्मचारी यथा: कनीय अभियंता से ही कराया जाना था और वह भी पूर्णकालिक कनीय अभियंताओं से। परंतु, नगर परिषद द्वारा विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधान सहायक एवं संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंता द्वारा कराया गया था।

कंडिका (10): <u>वैट की कटौती नहीं किए जाने के कारण अधिक भुगतान–रू0 3.42 लाख</u>

बिहार मूल्य वद्धित कर अधिनियम–2005 के नियम–40 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों की कीमत में वैट की राशि शामिल किए जाने की स्थिति में, आपूर्तिकर्ता द्वारा फार्म C–III समर्पित नहीं किए जाने पर उनके विपत्र से वैट की राशि की कटौती कर भुगतान किया जाना था। उक्त अधिनियम की धारा–40(5) के अनुसार, वैट राशि की कटौती नहीं किए जाने पर कटौती राशि की दुगुनी राशि के दंड का प्रावधान है।

नगर परिषद–हिलसा द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान विभिन्न सफाई उपकरणों के क्रय से संबंधित संचिकाओं की जॉच में पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा फार्म C–III समर्पित नहीं किए

जाने बावजूद उनके विपत्रों से भुगतान के समय बिक्री कर/वैट के मद में कुल रू0 3,42,458.00 राशि की कटौती नहीं की गई थी तथा विपत्र की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया था। विवरण निम्नांकित है–

क्र. सं.	क्रय की गई सामग्री का नाम	विपत्र की राशि (रू0)	बिक्री कर/ वैट की कटौती योग्य राशि (रू0)	आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि (रू0)	चेक संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता का नाम
1.	660 लीटर डस्टबीन	9,53,400	1,20,736	9,53,400	A862632/ 28.05.2016	Panther Unit infrastucture (P). Ltd, Patna-23
2.	हैंड ट्राली	5,14,500	24,500	5,14,500		
3.	स्कीड स्ट्रीट लोडर 5050	17,75,500	1,97,222	17,75,500	A862633/ 28.05.2016	Gamzen Plast Pvt. Ltd, Mumbai
कुल			**3,42,458**			

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि नगर परिषद कार्यालय द्वारा बिक्री कर/वैट की कटौती नहीं कर इस राशि का भुगतान संबंधित आपूतिकर्ताओं को कर दिया गया गया था जिसके कारण आपूतिकर्ताओं को कुल रू0 3,42,458.00 राशि का अधिक भुगतान हुआ। आगे, यह पाया गया कि दिनांक–22.06.2017 को अर्थात भुगतान के एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद नगर परिषद कार्यालय द्वारा उपरोक्त स्कीड स्ट्रीट लोडर 5050 के आपूर्तिकर्ता को बिक्री कर/वैट की कटौती नहीं की गई रू0 1,97,222.25 राशि को संबंधित विभाग को जमा कर रसीद उपलब्ध कराने हेतु पत्र (पत्रांक–429/ न0प0हि0) प्रेषित किया गया था। परंतु, इस संबंध में संचिका में कोई अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं पाई गई।

जवाब में बताया गया कि आपूर्तिकर्ताओं के सुरक्षित जमा राशि से वैट की कटौती कर ली जाएगी। जवाब के आलोक में वैट की कुल रू0 3,42,458.00 राशि संबंधित विभाग में जमा कर संबंधित अभिलेख अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका (11): <u>मोबाइल टावर के विरूद्ध बकाया नवीकरण शुल्क–रू0 12.03 लाख</u>

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाइल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक–08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार, नगर परिषद में पंजीकरण शुल्क रु0 40,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क रु0 10,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(4) के अनुसार, प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60% की दर से कर लगाया जाएगा। नियम 6(6)के अनुसार, पंजीकरण के 30 दिनों के अंदर शुल्क

प्राप्त नहीं होने तथा 6(7) के अनुसार, कम्पनियों द्वारा नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक जमा नहीं किए जाने की स्थिति में 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा।

नगर परिषद–हिलसा द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वर्ष 2010–11 में नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों के 10 माबाईल टावर स्थापित किए गए थे। उक्त मोबाईल टावरों के विरूद्ध पंजीकरण एवं नवीकरण शुल्क के मद में अप्रैल 2016 तक रू0 13,42,840 राशि के कुल मांग के विरूद्ध केवल रू0 140000 राशि की ही वसूली हुई तथा शेष रू0 12,02,840 राशि वसूली हेतु लंबित थी। दिनांक–30 अप्रैल 2016 के बाद टावर कर की मांग को अद्यतन नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि राशि वसूली हेतु नोटिस दिया गया है। मोबाईल टावर शुल्क की लंबित राशि की अद्यतन गणना कर वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए तथा इस संबंध में हुई प्रगति से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कंडिका (12): <u>निधियों का अवरोधन–रू0 10.34 लाख</u>

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम–343 के अनुसार, प्राप्त अनुदानों का उपयोग एक निश्चित समय–सीमा में किया जाना चाहिए तथा यदि संस्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई हो तो अनुदान राशि का व्यय तार्किक समय के अंदर किया जाना चाहिए एवं अनुदान की अव्ययित राशि सरकार को प्रत्यर्पित कर दी जानी चाहिए। आगे, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–69(9) के अनुसार, अनुदान प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष से अधिक अवधि से बची अनुपयोगित राशि को उनको लौटाया जाएगा जिससे अनुदान प्राप्त हुआ था।

नगर परिषद–हिलसा द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़बही एवं बैंक पासबुक की जाँच में यह पाया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा निम्नांकित योजनाओं/मदों के अंतर्गत जून 2017 तक कुल रू0 10,33,947.00 राशि अनुपयोगित पड़ी हुई थी। उक्त योजनाओं/मदों में विगत कई वर्षों से कोई व्यय नहीं किया गया था और न ही अनुपयोगित निधियों को अनुदान संस्वीकृति प्राधिकारियों को वापस किया गया था। विवरण निम्न है–

क्र. सं.	योजना/ मद का नाम	30.06.2017 को रोकड़बही अंतशेष (रू0)	बैंक का नाम एवं खाता संख्या
1.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम	4,31,341.00	पी.एल. खाता
2.	आई.डी.एस.एम.टी.	1,90,581.00	पी.एल. खाता
4.	हाईमास्ट लाईट	4,12,065.00	पी.एल. खाता
	कुल	**10,33,987.00**	

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 एवं 3 में वर्णित बंद योजनाओं में अंतशेष राशि को सुरक्षित जमा राशि का भुगतान किया जाना है तथा क्रमांक 1 की अवशेष राशि को

सरकार को वापस कर दी जाएगी। जवाब के अनुरूप उचित अनुपालन किया जाए। कार्रवाई से अवगत कराया जाय।

कंडिका (13): <u>गृहकर रसीदों द्वारा संग्रहित राशि का नहीं/कम जमा–रू0 0.42 लाख</u>

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–22(1) के अनुसार, प्राप्त अधिकरों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में उसी दिन या उसके दूसरे कार्य दिवस के दोपहर तक अवश्य ही जमा की जानी चाहिए। उक्त नियमावली के नियम–27 में प्रावधान है कि प्रत्येक कर संग्राहक बी.एम.ए.आर. प्रपत्र संख्या–17 में एक संग्रहण बही का संधारण करेंगें जिसमें राशि संग्रहण के बाद निर्गत की गयी मूल रसीद की सारी प्रविष्टियाँ की जाएंगी तथा कर संग्राहक अपने सारे संग्रहण राशि को दैनिक रूप से कैशियर के पास जमा करेंगें जो संग्रहित राशि को अधिकृत बैंकों में जमा कर देंगें।

नगर परिषद–हिलसा के संपत्ति कर की वसूली से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि कर संग्रहण में उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किए गए एच–रसीदों के अनुसार, जून 2017 से लेखापरीक्षा की तिथि (29.08.2017) तक विभिन्न कर संग्राहकों द्वारा संपत्ति कर के मद में संग्रह की गई कुल रू0 42,054.00 राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्नांकित है–

क. सं.	रसीद संख्या	संग्रह की तिथि	संग्रह की कुल राशि (रू0)	जमा की गई राशि (रू0)	कम/नहीं जमा राशि (रू0)	कर संग्राहक का नाम
1	2	3	4	5	6 (4–5)	7
1.	3701–3715	13.07.2017–26.08.2017	14,548	0	14,548	श्री शिव कुमार
2.	3694–3700	30.06.2017–05.07.2017	4,759	0	4,759	
3.	4177–4182	24.08.2017–29.08.2017	22,747	0	22,747	श्री रवि कुमार
	कुल		**42,054**	**0**	**42,054**	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कर संग्राहकों द्वारा वसूली की गई राशि को नगर परिषद कोष में अविलंब जमा नहीं कर काफी समय से अपने पास रखा गया था। परिणामतः वसूली की गई कुल रू0 42,054.00 राशि नगर परिषद के लेखा से बाहर रहा।

जवाब में बताया गया कि राशि यथाशीघ्र जमा करा ली जाएगी। जवाब के आलोक में राजस्व संग्रह की उपरोक्त नहीं जमा की राशि रू0 42,054.00 को यथाशीघ्र नगर परिषद कोष में जमा किया जाए तथा जमा से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

कंडिका (14): <u>वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण राजस्व हानि–रू0 16.45 लाख</u>

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम (बि.न.अ.), 2011 की धारा–127(13)(i) के अनुसार, नगरपालिका प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण करेगी तथा बि.न.अ. (संशोधित), 2013 की धारा–127(7)(iii) के अनुसार संपूर्ण निर्मित क्षेत्र का विभिन्न वर्गों के होल्डिंग के लिए प्रति वर्गफुट किराया प्रति पाँच वर्ष में न्यूनतम 15% प्रतिशत से बढ़ायी जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि.आ.वि.), बिहार सरकार ने भी अपने पत्रांक–SPUR-PMU/157/COMM-MF/261; दिनांक–20.07.2015 द्वारा नगर निकायों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किए जाने हेतु निर्देश दिया था।

नगर परिषद–हिलसा के वर्ष 2015–16 से 2016–17 के संपत्ति कर से संबंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कुल 26 वार्डों में संपति कर की वसूली के लिए कोई डिमांड रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। संपत्ति कर की वसूली विगत 'एच' रसीदों के विवरणों के आधार पर पुराने दर पर ही किया जा रहा था। डिमांड रजिस्टर का संधारण नहीं किए जाने के कारण नगर परिषद में वार्डवार वार्षिक किराया मूल्य एवं कुल वार्षिक किराया मूल्य की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

नगर परिषद द्वारा न.वि.आ.वि. को प्रेषित किए गए मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं बजट के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2017 तक नगर परिषद क्षेत्र में कुल होल्डिंगों की संख्या 8681 तथा अनुमानित कुल डिमांड की राशि रू0 51,00,000.00 थी। यदि, बिहार नगरपालिका अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार संपत्ति कर के डिमांड में वर्ष 2011–12 एवं 2015–16 में 15 प्रतिशत की वृद्धि किया जाता तो निम्न विवरणानुसार नगर परिषद को संपत्ति कर के मद में न्यूनत्तम रू0 1644750 राशि के अधिक राजस्व की प्राप्ति होती:–

कुल डिमांड राशि	वर्ष 2011–12 में पुनरीक्षित डिमांड राशि (15% वृद्धि)	वर्ष 2015–16 में पुनरीक्षित राशि (15% वृद्धि)	डिमांड में अंतर
1	2	3	4 (3–1)
51,00,000.00	58,65,000.00	67,44,750.00	1644750

आगे, बैठक पंजी के अवलोकन में यह पाया गया कि दिनांक–26.07.2017 को नगर परिषद बोर्ड की बैठक की कार्रवाई संख्या–19 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि चूंकि हिलसा नगर परिषद में वर्ष 1978–79 के बाद से कोई सर्वे नहीं किया गया था जिससे इस क्षेत्र में डिमांड का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया जा सका, अतः एन.जी.ओ. के माध्यम से सभी वार्डों में डिमांड सर्वे कराया जाए।

जवाब में बताया गया कि सर्वे कार्य किया जा रहा है, अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

जवाब के आलोक में होल्डिंगों का सर्वे कराकर डिमांड पंजी का संधारण किया जाए तथा उसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

कंडिका (15): <u>अभिलेखों की अप्रस्तुति</u>

नगर परिषद–हिलसा के वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में निम्नलिखित अभिलेख व पंजी लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, फलतः इनकी जाँच नहीं की जा सकी–

(i) महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन

(ii) वार्षिक लेखा

(iii) अनुदान पंजी

(iv) विज्ञापन कर से संबंधित संचिका

(v) परिसंपति पंजी

(vi) होल्डिंग का डिमांड रजिस्टर

(vii) अग्रिम पंजी

जवाब में बताया गया कि उपरोक्त अभिलेखों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी (TAN)</u>

टिप्पणी (1): <u>बजट प्राक्कलन</u>

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के अनुसार, नगरपालिका प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट अंगीकार करेगी तथा अंगीकृत बजट प्राक्कलनों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। आगे, बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अनुसार, बजट प्राक्कलन नगद के आधार पर तैयार किया जाएगा, जो घाटे का नहीं होगा। बिहार नगरपालिका बजट मैन्युअल की धारा 85(3) के अनुसार वास्तविक बजट तैयार किया जाना चाहिए तथा बजट एवं वास्तविक आंकड़ों में 5 प्रतिशत से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नगर परिषद–हिलसा द्वारा वर्ष 2015–16 से 2017–18 के उपलब्ध कराए गए बजट प्राक्कलनों के अवलोकन में यह पाया गया कि वर्ष 2015–16 के लिए बजट प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक में अंतर 5 प्रतिशत की बजाए 29 से 88 प्रतिशत के बीच था। विवरण निम्नांकित है–

वर्ष	विवरण	बजट प्राक्कलन (रू0)	वास्तविक (रू0)	अंतर का प्रतिशत
2015–16	राजस्व प्राप्तियां	1,32,99,407	1,10,94,541	17

	पूंजीगत प्राप्तियां	2,62,00,000	4,93,55,020	47
	राजस्व व्यय	1,32,99,407	1,12,04,628	16
	पूंजीगत व्यय	2,82,00,000	2,18,42,180	23

आगे, वर्ष 2016–17 के बजट की तैयारी हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत दिशानिर्देश (पत्रांक–09/विविध–23/13/02, दिनांक–01.01.2016) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए राजस्व व्यय का अनुमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के वास्तविक का अधिकत्तम 10 प्रतिशत जोड़ कर निर्देशित होना चाहिए। यह पाया गया कि नगर परिषद का वर्ष 2015–16 का वास्तविक राजस्व व्यय रू0 1,12,04,628 था परंतु, वर्ष 2016–17 के लिए प्राक्कलित राजस्व व्यय रू0 2,68,22,000 था अर्थात 139 प्रतिशत बढ़ा कर प्राक्कलन तैयार किया गया।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

टिप्पणी (2): <u>लेखाओं का संधारण द्वि–प्रविष्टी लेखांकन प्रणाली में नहीं किया जाना</u>

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने बिहार के नगरपालिकाओं में 1 अप्रैल 2014 से एक्रुअल आधारित द्वि–प्रविष्टी प्रणाली में वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उनके संधारण हेतु "बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014" अधिसूचित (जनवरी 2014) किया। आगे, फरवरी 2014 में विभाग ने सभी श.स्था.नि. को लेखांकन के नकद प्रणाली की जगह 1 अप्रैल 2014 से एक्रुअल आधारित द्वि–प्रविष्टी लेखांकन प्रणाली (Accrual based double Entry Accounting System) के प्रभावी होने का निर्देश जारी किया था।

नगर परिषद–हिलसा द्वारा संधारित रोकड़बहियों के नमूना जाँच में यह पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान लेखाओं का संधारण एक्रुअल आधारित द्वि–आधारित प्रणाली में नहीं किया गया था। इसकी बजाए लेखाओं का संधारण नकद आधारित एकल प्रविष्टि प्रणाली (Cash based single entry system) में किया जा रहा था।

जवाब में बताया गया कि विभाग द्वारा double Entry का कार्य प्रारम्भ किया गया है एवं कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में नगर परिषद के लेखाओं का संधारण एक्रुअल आधारित द्वि–आधारित प्रणाली में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

टिप्पणी (3): <u>वार्षिक लेखाओं का संधारण</u>

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 86 एवं 88 में क्रमशः लेखा संधारण तथा वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के अन्दर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा की मदें, पूर्ववर्ती वर्ष के आय–व्यय का लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगियों को शामिल करना है। इसके अतिरिक्त, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम 120 एवं 122 के प्रावधानों के अनुसार, प्राप्ति एवं भुगतान का मासिक विवरण तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का संधारण बी.एम.आर प्रपत्र–71 में, आय–व्यय का विवरण बी.एम.आर. प्रपत्र–73 में एवं आर्थिक चिटठा का संधारण बी.एम.आर. प्रपत्र–74 में किया जाना है।

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि नगर परिषद–हिलसा द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लिए वार्षिक लेखाओं को तैयार नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में वार्षिक लेखाओं का संधारण किया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में वार्षिक लेखाओं का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी (4): <u>अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया जाना</u>

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–69 के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदानों की प्राप्ति एवं उपयोग विवरण हेतु नगरपालिका में अनुदान बही का संधारण बी.एम.ए.आर. प्रपत्र संख्या–28 में किया जाएगा जिसमें अनुदान के नाम, स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का पदनाम/आदेश/अनुदान की प्रकृति, अनुदान की अवधि, अनुदान के मद में व्यय अवधि की समाप्ति के अन्त में अनुदान की अवशेष राशि तथा लौटायी गयी अव्यवहृत राशि को दर्शाया जाना है। अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि नगर परिषद–हिलसा द्वारा वर्ष 2015–16 से 2016–17 के लिए अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिससे 1 अप्रैल 2015 को अनुदानों के प्रारंभ शेष की राशि, वर्ष 2015–17 के दौरान विभिन्न मदों में प्राप्त अनुदान राशि, प्राप्त अनुदानों के विरूद्ध व्यय की गई राशि एवं 31 मार्च 2017 को अनुदानों की अवशेष राशि ज्ञात नहीं हो सकी।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में अनुदान पंजी का संधारण किया जाएगा। विहित प्रपत्र में अनुदान पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी (5): <u>लॉग बुक के संधारण में अनियमिताएं</u>

नगर परिषद–हिलसा द्वारा प्रस्तुत किए गए ट्रैक्टर, जे.सी.बी., बॉबकट, फोगिंग मशीन एवं जेनरेटर के लॉग बुक के अवलोकन में निम्नांकित अनियमितताएं पाई गईं–

1) वाहनों के लॉगबुक में प्रथम मीटर रीडिंग एवं अंतिम मीटर रीडिंग से संबंधित कोई विवरण दर्ज नहीं किया गया था। केवल वाहन द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दर्शायी गयी थी। मीटर रीडिंग की प्रविष्ट नहीं किए जाने से लॉगबुक में वाहन द्वारा तय की गई दूरी की प्रविष्टि की प्रमाणिकता संदिग्ध थी।

2) . लॉगबुक में दर्ज प्रविष्टियों को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में उक्त कमियों को सुधार कर लिया जाएगा। जवाब के अनुरूप लॉग बुक की उपरोक्त त्रुटियों को सुधार कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी (6): <u>योजनाओं को जिला योजना समिति में नहीं भेजा जाना</u>

बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अनुसार, नगरपालिकाओं द्वारा पारित की गयी योजनाओं को जिला योजना समिति को प्रेषित किया जाना है जो पंचायतों तथा नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन कर पूरे जिले के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप बनाएगी और उसे सरकार को अग्रसारित करेगी। परंतु, नगर परिषद–हिलसा के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि परिषद कार्यालय द्वारा वर्ष 2015–16 से 2016–17 के दौरान ली गयी योजनाओं को जिला योजना समिति को प्रेषित नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि पूर्व में योजना समिति को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की योजना भेजी गई है। उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अन्य मदों की योजनाओं को भी समेकन हेतु योजना समिति को भेजा जाए।

टिप्पणी (7): <u>विज्ञापन शुल्क पंजी का संधारण नहीं</u>

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 145 से 147 में नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत समाचार पत्रों के अंतिरिक्त अन्य स्थानों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु नगरपालिका से अनुज्ञप्ति लेने का प्रावधान है एवं नगरपालिका अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु उस दर से उस पर शुल्क वसूल करेगा जो समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 146(6) के अनुसार एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा जिसमें इस धारा के अधीन निर्गत की गयी अनुज्ञप्तियॉ विज्ञापन स्थल के बारे में अलग–अलग अभिलिखित रहेगा। परंतु, नगर परिषद–हिलसा द्वारा अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विज्ञापन स्थलों का न तो सर्वे कराया गया था एवं न ही विज्ञापन अनुज्ञप्ति हेतु रजिस्टर का संधारण किया गया था।

जवाब में बताया गया कि विज्ञापन स्थल का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। विज्ञापन पंजी का संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

टिप्पणी (8): <u>विविध रसीदों द्वारा प्राप्त राजस्व राशि का कम जमा–रू0 0.44 लाख</u>

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली, 2014 के नियम–22(1) के अनुसार, प्राप्त अधिकरों को नगरपालिका के कोषागार खाता या राष्ट्रीयकृत बैंक खाता में उसी दिन या उसके दूसरे कार्य दिवस के दोपहर तक अवश्य ही जमा की जानी चाहिए। उक्त नियमावली के नियम–27 में प्रावधान है कि प्रत्येक कर संग्राहक बी.एम.ए.आर. प्रपत्र संख्या–17 में एक संग्रहण बही का संधारण करेंगें जिसमें राशि संग्रहण के बाद निर्गत की गयी मूल रसीद की सारी प्रविष्टियाँ की जाएंगी तथा कर संग्राहक अपने सारे संग्रहण